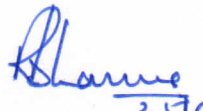


विषय: जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग के कि.मी. चैनेज 44.700 से 91.200 तक मार्ग की दांयी पटरी पर ग्राम अरनौटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क योजना के अन्तर्गत, संयोजन हेतु ऑप्टिकल फायबर केबिल डालने हेतु प्रभावित 01.395 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।

भूमि-स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर संयोजन हेतु केबिल डालने में प्रयुक्त की जाने वाली संरक्षित वनभूमि का भू-स्वामित्व लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर संयोजन हेतु केबिल डालने हेतु आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उ० प्र० शासन के पत्रांक 880/78/-1-2013-81 इले०/98 दिनांक 19.09.2013 के प्रस्तर MOU No. NOFN/ROW-27 Dated 26.10.2012 की धारा 6.5 के द्वारा अनुमति प्राप्त है।


25/6/2018
(Rameshwar Prasad)
D.E. (NOFN)
% GMTD AGRA